सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 550 राँची, मंगलवार, 27 अगस्त, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

8 अगस्त, 2024

विषयः- **झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने के निमित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1459 दिनांक-27.02.2024 में संशोधन के संबंध में ।**

संख्या-13/वरीय विविध- 01/2024 का० 5205--द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा की गयी अनुशंसाओं एवं उक्त क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P(Civil) No.643/2015, All India Judges Association Vs Union of India and Ors. मामले में दिनांक-04.01.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1459 दिनांक-27.02.2024 के द्वारा झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पत्रांक-1173/Apptt दिनांक-13.03.2024 तथा विधि विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-864 दिनांक-04.04.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा कार्मिक विभागीय

संकल्प संख्या-1459 दिनांक-27.02.2024 में कतिपय संशोधन की अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा के आलोक में पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-1459 दिनांक- 27.02.2024 को निम्नवत संशोधित किया जाता है :-

संकल्प संख्या-1459 दिनांक-27.02.2024 की कंडिका	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/अन्तः स्थापन
कंडिका-2. II. (i)	कक्षा 12 तक दो बच्चों की शिक्षा हेतु प्रति माह 2250.00 रू0 शैक्षणिक भत्ता एवं प्रतिमाह 6750.00 रू0 छात्रावास सब्सिडी अनुमान्य होगा।	कक्षा 12 तक दो बच्चों की शिक्षा हेतु प्रति बच्चा प्रति माह 2250.00 रू0 शैक्षणिक भत्ता एवं प्रति बच्चा प्रतिमाह 6750.00 रू0 छात्रावास सब्सिडी अनुमान्य होगा। जिन मामलों में शैक्षणिक संस्थान के प्रधान से प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सके, वैसे मामलों में संबंधित न्यायिक पदाधिकारी द्वारा रिपोर्ट कार्ड अथवा शुल्क रसीद (ई-रसीद सहित) को स्व-प्रमाणित कर प्रस्तुत करने पर दावे का भुगतान लिया जा सकेगा। बच्चों की शिक्षा भत्ता के संबंध में यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न उत्पन्न हो तो, Ministry of Personnel, P.G. and Pension, Department of Personnel & Training, Govt.of India vide O.M.No-A27012/02/2017-Estt(AL), dated 16-08-2017 (F/C) (यथासंशोधित) के आधार पर यह भत्ता अनुमान्य होगा।

कंडिका-2. X	-	2- X (VII) (a) - The payment of home orderly allowance should not result in discontinuance of practice, if any, of deputing the Office Peons/Attenders or other Group D employee during nights at the residences of (i) Magistrates who are called upon to attend the Judicial work at times during night times. (ii) the Office Peon/Attender or such other Group D employee deputed for night duty at the residence of Judicial officer living in the areas generally considered to be disturbed or security risk areas or outsourced security guards to be deployed in such areas and (iii) such personnel can also be deputed to the residence of Principal District Judge or equivalent rank officer having administrative responsibilities. 2- X (VII) (b) - The deployment of Peons/Attenders for such residential duties shall be subject to the availability of Group D/Class IV personnel and without detriment to Court related duties.

<table>
<tr>
<td>कंडिका-2. XI. A.</td>
<td>-</td>
<td>कंडिका-2. XI A (iii) -

जिला जज के लिए आवास का न्यूनतम Plinth Area 2500 sq ft. तथा सिविल जज के लिए आवास का Plinth Area 2000 sq ft. होगा। झारखण्ड उच्च न्यायालय प्रशासन को उच्चतर Plinth Area के साथ Design को स्वीकृत करने का विशेषाधिकार है।</td>
</tr>
<tr>
<td>कंडिका-2. XI. B. (v)</td>
<td>
<table>
<tr><th>Classification of Cities</th><th>Rates of HRA/pm as % of basic pay</th><th>When DA crosses</th></tr>
<tr><td rowspan="2">X</td><td>27%</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>30%</td><td>50%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Y</td><td>18%</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>20%</td><td>50%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Z</td><td>09%</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>10%</td><td>50%</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><th>Classification of Cities</th><th>Rates of HRA/pm as % of basic pay</th><th>When DA crosses</th></tr>
<tr><td rowspan="2">X</td><td>27%</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>30%</td><td>50%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Y</td><td>18%</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>20%</td><td>50%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Z</td><td>09%</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>10%</td><td>50%</td></tr>
</table>

'Z' Category वर्तमान में अवर्गीकृत है तथा उच्च न्यायालय शहरों को विभिन्न श्रेणियों में उत्क्रमित करने और जोड़ने के लिए स्वतंत्र है ।
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>कंडिका-2.XII. iv. (a)</td>
<td>न्यायिक पदाधिकारियों को उनकी कोटि के आधार पर हवाई यात्रा अनुमान्य होगी और प्रतिपूर्ति इस शर्त के अधीन की जाएगी कि टिकट या तो सीधे एयरलाइंस से या केंद्र/राज्य सरकार के अधिकृत एजेंटों अर्थात् अशोक ट्रेवल्स, बामर एवं लॉरी और आई.आर.सी.टीसी. से खरीदे गए हों।</td>
<td>न्यायिक पदाधिकारियों को, चाहे उनकी कोटि जो भी हो, हवाई यात्रा अनुमान्य होगा और प्रतिपूर्ति इस शर्त के अधीन की जाएगी कि टिकट या तो सीधे एयरलाइंस से या केंद्र/राज्य सरकार के अधिकृत एजेंटों अर्थात् अशोक ट्रेवल्स, बामर एवं लॉरी और आई.आर.सी.टी.सी. से खरीदे गए हों।</td>
</tr>
<tr>
<td>कंडिका-2. XIV.</td>
<td>-</td>
<td>कंडिका-2. XIV. (iii)

अनुमान्य समाचार-पत्र/पत्रिका भत्ता के अंतर राशि की प्रतिपूर्ति स्वप्रमाणन (Self certification) के आधार पर की जा सकेगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>कंडिका-2. XVI.</td>
<td>a. Principal District and Sessions Judges- Rs.7000/- per month</td>
<td><table><tr><td>a</td><td>All officers of the rank of Principal District Judge at the District Judiciary i.e. the Principal District & Session Judge, the Principal Judge, Family Court, the Presiding officers, Labour Court and all other officers of the rank of PDJ on deputational posts at State Government or High Court.</td><td>Rs.7000/- per month</td></tr></table></td>
</tr>
</table>

कंडिका-2-XVI.	**b.** Other District Judges including I Additional District Judges entrusted with administrative work who have to generally spend time beyond Court working hours- **Rs. 3500/- per month.**	b	Other District Judges including Additional District Judges entrusted with administrative work that have to generally spend time beyond Court working hours and all others Judicial officer of the same rank on deputational posts at State Government or High Court.	Rs. 3500/- per month.
	c. District Judges presiding over Special Courts and Tribunals having independent administrative responsibilities - **Rs.3500/- per month.**	c	District Judges presiding over Special Courts, Tribunals having inde-pendent administrative responsibilities and all others Judicial officer of the same rank on deputational posts at State Government or High Court.	Rs. 3500/- per month.
	d. CJMs and Principal Senior, Junior Civil Judges and other Judicial Officers having administrative responsibilities being in charge of independent Courts with filing powers - **Rs.2000/- per month.**	d	CJMs and Principal Senior, Junior Civil Judges and other Judicial Officers having administ-rative responsibilities being in charge of independent Courts with filing powers and all others Judicial officer of the same rank on deputational posts at State Government or High Court.	Rs. 2000/- per month.

3. विभागीय संकल्प संख्या-1459 दिनांक-27.02.2024 की कंडिका 2 द्वारा स्वीकृत वैसे सभी भत्ते एवं सुविधाएँ, जिससे संबंधित कंडिका में प्रभावी तिथि का उल्लेख नही है, वैसे भत्ते एवं सुविधाएँ विभागीय संकल्प संख्या-1459 दिनांक-27.02.2024 के निर्गत तिथि से अनुमान्य होंगे।

4. महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पत्रांक 1173/Apptt दिनांक 13.03.2024 (प्रति संलग्न) की अनुशंसा की कंडिका-9 का अनुपालन स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची तथा कंडिका-6 का अनुपालन भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा किया जायेगा ।

5. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक-2430 दिनांक-16.12.2020 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार राज्य में कोई क्षेत्र पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं है। साथ ही, Risk Allowance झारखण्ड राज्य के लिए अनुमान्य नहीं है ।

6. झारखण्ड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों/सुविधाएँ के संबंध में पूर्व से निर्गत संकल्प/नियम/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

7. प्रस्ताव पर मत्रिपरिषद् की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक-5118, दिनांक- 06.08.2024 के क्रम में दिनांक-07.08.2024 की बैठक के मद संख्या-35 के रूप में दी गयी है ।

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।